**संख्या-845/2017/671/22-2-2017-17(190)/2015**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रवली निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9688/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-04.01.2017, दिनांक 28.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रवली जो ग्राम-हिसामुददीनपुर, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा वलात्कार के प्रयास में असफल होने के कारण दिनांक 15-10-91 को गड़ासे से मारकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-96/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302,376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, फैजाबाद के आदेश दिनांक 27.11.2001 द्वारा आजीवन कारावास एवं 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावस के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-11-2007 द्वारा बन्दी को धारा-302 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा बहाल रखी गयी तथा धारा-376 में दोषमुक्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2016 तक 16 वर्ष 01 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी दयाराम उर्फ बवाली (बन्दी संख्या-41260) पुत्र श्री चन्द्रवली निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-845/2017/671(1)/22-2-2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in